महिला सशक्तीकरण में शिक्षा का योगदान

मणिमाला

शोध छात्रा (शिक्षाशास्त्र)
नेहरू ग्राम भारती डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी,
इलाहाबाद

प्रकृति की अनुपम कृति नारी है, क्योंकि नारी देवी का रूप है नारी का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, सृष्टि के संचालन का यह अपने आप में एक अदभुत रोमांचक और मधुर अनुभव है। माँ बनने की क्षमता उसे प्रकृति की भेंट है जो नारी को पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है, भारतीय संस्कृति में नारी को माँ के रूप देखा गया है, और शास्त्रों में नारी नारी करुणा, प्रेम, त्याग की देवी के रूप में प्रतिष्ठित होते हुए भी सामाजिक जीवन में केवल योग्य बनकर रह गई है। समाज में नारी की स्थिति विभिन्न काल में विभिन्न सोपानों में रखा है।

स्त्रियों की शिक्षित होना आवश्यक है वे अपने मताधिकार की स्वतन्त्रता पूर्वक प्रयोग कर सकें यही जटिल सशक्तिकरण है यह सब नारी की शिक्षा पर निर्भर करती है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भली–भाँति समझ सकें, इसके लिए नारी को शिक्षित होना जरूरी है। स्त्री शिक्षा का समाज में अपना अलग महत्व होता है, समाज की तरक्की होती है। इसका ज्वलन्त उदाहरण हमारे देश की प्रधानमंत्री स्व0 इन्दिरा गाँधी ने एक महिला होने के नाते देश का सकुशल नेतृत्व किया जो उस समय देश एक विघटनकारी शक्तियों की दौर से गुजर रहा था। इन्दिरा जी ने सारे विश्व को दिखा दिया कि एक महिला किस तरीके से अपने रूद्र को विघटनकारी शक्तियों से बचा कर उन्नति के रास्ते में ले गयी। वर्तमान में इसका जीता जागता एक उदाहरण है। तमाम राज्यों की मुख्यमंत्री, अध्यक्ष है जैसे–सोनिया गाँधी, मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि।

खेलों के क्षेत्र में भी महिला अपनी जलवा दिखाई है। सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल एवं गीता फोगाट ये सब शिक्षा की वजह से हुआ है और समाज में इसकी काफी बदलाव हुआ है। लेकिन पुरुषों की सोच नारी के प्रति बदलाव लाना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब–जब हमने इस महत्वपूर्ण विषय की उपेक्षा की है देश का पतन हुआ जब–जब उस पर ध्यान दिया है, तब–तब देश उन्नति के शिखर पर पहुँचा है। कुल मिलाकर नारी को समाज में स्थान द्य दिलाना है, तो उनको शिक्षा पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा।

वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति–

वैदिक काल में शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का स्रोत समझा जाता था। इसके द्वारा मनुष्य अपनी बुद्धि प्रखर कर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ठीक मार्ग का अनुसरण्ध कर सकता था। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर इस संसार में और परलोक में जीवन के वास्तविक सुख का प्राप्त कर सकता था।

Scanned with CamScanner

किसी भी देश के सांस्कृतिक विकास के अध्ययन में तत्कालीन समाज में स्त्रियों । (महिलाओं) की स्थिति से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। प्रत्येक समाज में नारी के प्रति अपनाये जाने वाले सामाजिक दृष्टिकोण का समाज की ही स्वयं की दृष्टि से बड़ा महत्त्व होता है। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि विभिन्न कालों में विभिन्न समाजों में स्त्रियों के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैं। आदिम काल में मानव समाज की उत्पत्ति में स्त्रियों की केन्द्रीय एवं आधारभूत भूमिका को देखते हुए उन्हें अराध्य देवी का स्थान दिया गया था। मनुस्मृति में उल्लखित है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता''।

यही कारण है कि स्त्रियों को माँ, जननी, गृहिणी, गृहदृस्वामिनी, अर्धागिनी जैसे शब्दों से आदर और सम्मान प्रकट किया गया है। वैदिक काल में स्त्री–पुरुष की स्थिति में समानता थी। इस समय लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था और वे भी ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। पुरुषों के समकक्ष ही नारियों को भी स्वतंत्रता, समानता और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। श्स्वयंवर प्रथा यज्ञों में आवश्यक रूप में उपस्थिति, शास्त्रार्थ में भाग लेना, एवं शास्त्रार्थ करना आदि इसके प्रमाण थे, जो यह प्रमाणित करता है कि प्राचीन समाज व्यवस्था में लिंग भेद का स्थान नहीं था। खग्वेद में अनेक विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। विश्ववारा एक दार्शनिका और मन्त्रद्रष्टी स्त्री थी, जो खग्वेद के एक प्रार्थना–मंत्र की रचना की थी। ऋषी कक्षीवान की पुत्री घोषा ने भी ऋग्वेद के दो प्रार्थना–पदों की रचना की थी। अगस्त ऋष्ज्ञि की पत्नी लोपामुद्रा ने भी दो पदों की रचना की थी। शाश्वती, अपाला, इन्द्राणी, सिकता और निवावरी आदि दार्शनिका एवं मन्त्रद्रष्टी स्त्रियाँ थी। स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे। शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि दैनदिन प्रार्थनाओं और यज्ञादिक कर्मों को करने का अधिकार एक अविवाहित व्यक्ति को नहीं है। यज्ञादिक कर्मों के समय मंत्रों का गायन स्त्री का ही धर्म है। इस काल में सह–शिक्षा का भी प्रावधान था। बाल–विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों को वैवाहिक स्वतन्त्रता प्राप्ति थी। विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती थी। नियोग द्वारा सन्तान उत्पन्न करने की स्वतंत्रता थी। पत्नी के रूप में स्त्री की स्थिति काफी उन्नत थी तथा उन्हें समस्त अधिकार प्राप्त थे। धार्मिक अनुष्ठानों में स्त्रियों की प्रतिभागिता अनिवार्य थी। इस काल में पर्दादृप्रथा भी प्रचलित न थी। स्त्रियों को सम्पत्ति के अधिकार न थे क्योंकि परिवार के मुखिया को ही सम्पत्ति के अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार समाज में स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था।

उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति–

उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के सम्बन्ध में विरोधी मत प्राप्त होते हैं। महाभारत में सुलभा नामक एक स्त्री को श्मोक्षश सिद्धि के विषय पर वार्तालाप करते दिखाया गया है। अनुशासन पर्व में दो प्रकार की स्त्रियों का वर्णन–साध्वी और असाध्वी। स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उनसे स्नेह का व्यवहार किया जाना आवश्यक था। जीवन के प्रत्येक प्रहर में स्त्रियों की रक्षा करना पुरुष का अपना धर्म है। स्त्रियाँ साक्षात् लक्ष्मी की अवतार होती हैं, अतः सम्पन्नता और विपुलता की आकांक्षा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह उनका आदर करें।

जैन व बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति–

Scanned with CamScanner

जैन और बौद्ध धर्म में स्त्रियों को आदरपूर्ण स्थान था। अनेक स्त्रियाँ भी धर्म प्रचार के कार्य में संलग्न थी। इन धर्मों के पराभव के साथ ही स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आना प्रारम्भ हुई। कलांतर में मनुस्मृति में स्त्रियों की स्वतंत्रता को प्रतिबन्धित किया गया। स्त्रियों को घर के पुरुष सदस्यों की अनुमति और परामर्श के बिना स्वतन्त्रापूर्वक आचारण कर सकने की स्वतत्रंता प्रदान किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। स्त्रियों के द्वारा होम होने से देवी–देवता रूष्ट हो जाते हैं। श्अग्निहोमश करने वाली स्त्री को सीधे नरक में ही जाना पड़ता है। मनु ने कहा है कि– ष्इस लोक में पुरुष को दूषित करना नारी का स्वभाव होता है। मनु ने स्त्री को श्प्रमदाश कहा है। जिसका अभिप्राय 'मदोन्मत्त करना था मनोवेग को उत्तेजित करना है। प्राचीन काल में स्त्रियों की दो कोटियाँ थी– ब्रह्मवादिनी एवं सद्योवधू । ब्रह्मवादिनी ब्रह्मविद्या में पारंगत होती थी जबकि सद्योवधू विवाह तक अध्ययन करती थी तत्पश्चात् गृह–पत्नी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती थी। स्मृतियों में रजस्वला स्त्री को रजःस्राव की स्थिति में अस्पृश्यश माना गया है। धर्मशास्त्रकाल में स्त्रियों को परतन्त्र, निःस्सहाय एवं निर्बल माना जाने लगा था तथा स्त्रियों के लिए विवाह ही एकमात्र संस्कार माना गया। स्त्रियाँ सम्पत्ति के अधिकार से वंचित थी। उन्हें मानसिक रूप से दुर्बल माना गया। कुलीनता की धारणा के कारण बहुपत्नी विवाह का प्रचलन बढ़ा। इस समय रखैल रखने की प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार स्त्रियों को वस्तु के रूप में व्यवहृत किया जाने लगा। मध्य काल में हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये। स्त्रियों का कार्य क्षेत्र केवल घर की चहारदीवारी तक सीमित हो गया। सती प्रथा को बढ़ावा दिया गया।

स्त्रियों की शिक्षित होना आवश्यक है वे अपने मताधिकार का स्वतन्त्रता पूर्वक प्रयोग कर सकें यही जटिल सशक्तिकरण है यह नारी की शिक्षा पर निर्भर है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भली–भाँति समझ सकें, इसके लिए नारी को शिक्षित होना जरूरी है। स्त्री शिक्षा का समाज में अपना अलग महत्व होता है, समाज की तरक्की होती है। इसका ज्वलन्त उदाहरण हमारे देश की प्रधानमंत्री स्व0 इन्दिरा गाँधी ने एक महिला होने के नाते देश का सकुशल नेतृत्व किया जो उस समय देश एक विघटनकारी शक्तियों की दौर से गुजर रहा था। इन्दिरा जी ने सारे विश्व को दिखा दिया कि एक महिला किस तरीके से अपने रूद्र को विघटनकारी शक्तियों से बचा कर उन्नति के रास्ते में ले गयी।

मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति–

मध्यकाल में भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, वे भारत के शासक बने तथा वे अपनी सभ्यता तथा संस्कृति को भारत में लाए। वे स्त्रियों को केवल पढ़ने–लिखने तक की शिक्षा देने के पक्ष में थे, परिणाम यह हुआ कि इस युग में स्त्री शिक्षा का स्वरूप अति संकुचित हो गया और अधिकतर महिलाएँ अशिक्षित ही रहीं। किन्तु महिला शिक्षा की दृष्टि से अत्यन्त संघर्षपूर्ण रहे इस काल में भी अनेक हिन्दु तथा मुस्लिम विदुषियों की चर्चा इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिगोचर होती है। चाँदबीबी, रजिया सुल्ताना, गुलबदन बेगम, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई आदि विदुषियों के नाम मध्यकालीन भारत के स्त्री शिक्षा के इतिहास में स्मरणीय है। जिन्होंने

Scanned with CamScanner

मध्यकालीन समाज के विकास एवं उन्नति में उल्लेखनीय योगदान दिया साथ ही साथ स्वयं की उन्नति की और महिलाओं की एक सशक्त छावि का उदाहरण प्रस्तुत किया।

मुसलमान शासकों के बाद भारत में अंग्रेजों का शासन प्रारम्भ हुआ तथा सन् 1854 के वुड के आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया तथा स्त्रियों की शिक्षा के सभी सम्भव प्रयास किए गए परिणामस्वरूप सन् 1902 तक महिला शिक्षा ने एक आन्दोलन का रूप ग्रहण कर लिया तथा 1917 से 1947 के मध्य महिला शिक्षा का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ तथा भारतीय महिलाओं ने अपनी अत्यन्त सक्रिय एवं प्रभावशाली भागीदारी विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों जैसे– स्वतन्त्रता आन्दोलन में हिस्सा लेना, लेखन, विभिन्न कला–कौशलों, नेतृत्व इत्यादि में देना प्रारम्भ किया, जैसा कि स्वाभाविक था क्योंकि शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त महिलाओं की क्षमता, योग्यता तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता में वृद्धि होती है तथा वे अपनी, अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र की उन्नति में एक प्रमुख भूमिका अदा करने में सक्षम पाई जाती है।

यदि प्राचीन काल से अब तक की महिला शिक्षा एवं शिक्षा से उनकी स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को हम समझने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि प्राचीनकाल से वर्तमान समय तक के विभिन्न कालों में शिक्षा ने महिलाओं की स्थिति को काफी प्रभावित किया है तथा शिक्षा द्वारा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, विभिन्न कालों की शिक्षित महिलाओं ने अपनी पारिवारिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार की स्थितियों में उचित सम्मान व स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, उनका जीवन स्तर अशिक्षित महिलाओं से उच्च रहा तथा इतिहास में भी उनको सम्मान प्राप्त हुआ। जबकि दूसरी तरफ विभिन्न कालों में जो महिलाएँ अशिक्षित रहीं वे अपने अज्ञान, रूढिवादी सोच तथा संकुचित दृष्टिकोण के कारण अपनी पारिवारिक तथा सामाजिक स्थितियों में कोई विशेष सुधार न ला सकीं तथा समाज में शिक्षित महिलाओं की भाँति एक सम्मानजनक और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रहीं।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी में प्रारम्भ में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी परन्तु ईसाई मिशनरियों ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले । सन् 1851 में मिशनरियों द्वारा 371 बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या 11,193 थी। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास भी किये गये थे। डेविट हेयर ने 1820 में बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्थापित किया।

1854 से 1882 तक बालिका शिक्षा–

सन् 1854 के ष्वुड के आदेश–पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया और कहा गया कि इस शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी सम्भव प्रयास किये जायें। परिणामतः नव निर्मित शिक्षा विभागों में अनेक स्थानों पर बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई। इसमें भी केवल 6 लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। 1882 में 2697 बालिका शिक्षालय थे और उसमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या 1,27,066 थी।

इस प्रकार 1854 से 1882 तक की अवधि में स्त्रियों की उच्च शिक्षा अत्यन्त निराशाजनक थी।

Scanned with CamScanner

1882 से 1902 तक=

इस काल में महिलाओं ने उच्च शिक्षा के लिए कालेजों में प्रवेश करना प्रारम्भ किया। 1882 में कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या 6 थी, पर 1902 में यह संख्या बढ़कर 264 हो गई। व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी थी।

1902 में महिलाओं के लिए महाविद्यालयों की संख्या 12 थी। इस काल में हिन्दू–समाज में स्त्री शिक्षा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया था। परन्तु मुस्लिम समाज में उसका सर्वथा अभाव था।

1902 से 1921 तक=

इस अवधि में स्त्री उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में चार बातें उल्लेखनीय हैं–

1. कालेजों में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्राओं की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 1921 में 1263 लड़कियाँ, कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं।
2. हिन्दू लड़कियाँ अधिक संख्या में कॉलेजों में प्रवेश करने लगीं और मुस्लिम लड़कियों ने भी उच्च शिक्षा से लाभ उठाना प्रारम्भ किया आर्ट्स कॉलेजों में पढ़ने वाली 1263 में से 398 हिन्दू और 25 मुसलमान थीं।
3. लड़कियों ने परीक्षा में अपनी अपूर्व बुद्धि का परिचय दिया और लड़कों से किसी प्रकार पीछे नहीं रहीं।
4. 1916 में पूना में 'एस.एन.डी.टी. इण्डियन वीमेन्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई इसके संस्थापक सुविख्यात समाज सेवक महर्षि अन्नासाहब कर्वे को है।

1916 में स्त्रियों को चिकित्सा शिक्षा की विशेष सुविधा देने के लिए 'लेडी हार्डिंग कॉलेज' का दिल्ली में निर्माण किया गया।

1921 से 1937 तक–

इस अवधि में नारी–जगत् के प्रत्येक क्षेत्र में विलक्षण क्रान्ति परिलक्षित हुई। देश के कर्मठ नेताओं निःस्वार्थ समाज–सेवकों और स्वयं स्त्रियों ने अपनी सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति में सुधार करने के लिए जो प्रयास किए वे भारतीय इतिहास में बेजोड़ हैं।

1926 में स्त्रियों ने ष्अखिल भारतीय महिला संघश का निर्माण और 1927 में ष्अखिल भारतीय स्त्री–शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने पुरुषों के अनुरूप विविध प्रकार की शिक्षा की अधिकारिणी होने की माँग का नारा बुलन्द किया।

1937 से 1948 तक–

1937 से 1947 तक स्त्री शिक्षा की विशेष रूप से उच्च शिक्षा की अति तीव्र प्रगति हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, भारत के विभिन्न सरकारी विभागों एवं व्यापारिक कार्यालयों में शिक्षित व्यक्तियों की माँग बढ़ी। फलस्वरूप, अनेक स्त्रियाँ उनमें कार्य करने लगीं। नौकरी से स्त्रियों ने जिस आर्थिक स्वतंत्रता के आनन्द का उपभोग किया, उससे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। 1947 में स्त्रियों के लिए सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा के 16951 संस्थाएँ थी जिनमें 35,50,503 लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं।

स्वतंत्रता के पश्चात् स्त्री उच्च शिक्षा–

Scanned with CamScanner

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार ने स्त्री शिक्षा के प्रसार के अधिक प्रयास के लिए भारतीय संविधान ने भी नारी को समकक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया है कि– "राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।"

स्त्री उच्च शिक्षा एवं सरकार–

उच्च शिक्षा स्तर पर स्त्री शिक्षा का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक हो पाया। यह व्यवस्था विश्वविद्यालयीय संगठन के अन्तर्गत संचालित होती है। कुछ राजकीय संस्थाएं जो उच्च शिक्षा की उपाधियाँ देती है। शिक्षा विभागों द्वारा संचालित होती है। विविध व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसे– चिकित्सा, सविधि, अध्यापन एवं गृह–विज्ञान की व्यवस्था विश्वविद्यालयीय संगठन द्वारा प्रशासित होती हैं। परन्तु इनमें स्तर की उन्नति के लिए सम्बन्धित परिषदें भी प्रयत्नशील रहती हैं। द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी स्त्री उच्च शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ।

चौथी तथा पाँचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में छात्र एवं छात्राओं के बीच की खाई को पाटने का प्रयास किया गया। इसके लिए बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियों, छात्रावासों, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की व्यवस्था की गई। छठीं तथा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी उच्च शिक्ष को प्रोत्साहित किया गया।

विभिन्न आयोगों के स्त्री शिक्षा पर विचार–

स्वतंत्र भारत में सरकार द्वारा शिक्षा में विभिन्न आयोगों का गठन किया गया जिन्होंने स्त्री उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किये।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग–

भारत सरकार ने 4 नवम्बर, 1948 को डॉ0 राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, इस आयोग ने भी स्त्री शिक्षा का महत्व बतलाते हुए लिखा है"शिक्षित स्त्रियों के बिना हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं यदि सामान्य शिक्षा पुरुषों या स्त्रियों तक सीमित रखी जाती है।, तो स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा को अन्य पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

हंसा मेहता समिति–

1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त श्री हंसा मेहता समिति ने स्त्री उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किये–

1. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम लड़कियों और स्त्रियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। परन्तु इसमें फिर विकास के लिए क्षेत्र हैं।
2. विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले विविध पाठ्य क्रमांक के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दें।

समिति ने उच्च शिक्षा स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के लिए सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के बाद विविध व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाये जिससे स्त्रियाँ अधिक से अधिक व्यवसायों में उत्तरदायित्व और प्रबन्धकों के पद का भार संभाल सकें।

शिक्षा आयोग–

Scanned with CamScanner

भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को यू0जी0सी0 के अध्यक्ष प्रोफेसर डा0 डी0एस0 कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की घोषणा की। "शिक्षा आयोग" ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा के बारें में निम्नलिखित सुझाव दिये

1. छात्रवृत्तियों एवं मितव्ययी छात्रावासों की व्यवस्था करके, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त द्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
2. बालिकाओं के लिए पूर्व–स्नातक स्तर पर पृथक् कॉलेजों का निर्माण किया जाए।
3. बालिकाओं को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्य– विषयों में से चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
4. शिक्षा, गृह–विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य–विषयों में विकसित करके, उनको बालिकाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाए।
5. बालिकाओं को व्यवसायिक प्रबन्ध एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाए।
6. एक या दो विश्वविद्यालयों में स्त्री–शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाए।

समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्रालय–

इस मंत्रालय ने 1971 में विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों की स्थिति ज्ञान करने एवं कमियाँ को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट का प्रारुप 1973 में प्रस्तुत किया जिससे इस समिति ने स्त्री उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये–

"उच्च शिक्षा का प्रसार (सामान्य अथवा व्यवसायिक) अभी भी बहुत सीमित है। इसलिए स्त्रियों को उच्च शिक्षा में और वृद्धि की आवश्यकता है। स्त्रियों को योग्यताओं एवं कुशलताओं को लाभ उठाने के अवसर प्रदान करना, समाज एवं सरकार का उत्तरदायित्व है इस सम्बन्ध में निम्न सुझाव दिये–

1. स्त्रियों के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना विशेष रूप से अंशकालीन रोजगारों, सर्व उत्पादक व्यवसायों की व्यवस्था की जाए।
2. स्त्रियों के लिए सूचना एवं निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाये क्योंकि इसके अभाव में स्त्रियाँ अपने लिए रोजगारपरक विषयों का चुनाव नहीं कर पाती है।

समिति ने यह भी कहा कि शिक्षा के लिए निर्धारित कुल व्यय से स्त्री उच्च शिक्षा के लिए विशेष कोष की व्यवस्था की जाए।

वर्तमान में स्त्री उच्च शिक्षा –

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय नेताओं ने यह महसूस किया कि देश के बहुमुखी विकास में शिक्षा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसलिए शिक्षा के उन्नयन और सर्व सुलभता के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया जिनमें से राधाकृष्णन आयोग (1948–49), मुदालियर आयोग (1952–53), कोठारी आयोग (1964–66) है।

इन आयोगों और समितियों के सुझावों को क्रियान्वित करते हुए बोर्डी तथा नियामक संस्थाओं की स्थापना की गयी। शिक्षा को अधिक सुलभग बनाने के लिए संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को केन्द्रीय सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। फलस्वरूप शिक्षा के स्तर

Scanned with CamScanner

में वृद्धि हुई। जहाँ स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर 18.33ः थी वही सन् 2011 में साक्षरता दर 74% हो गयी है। इसमें निरन्तर विकास हो रहा है। किन्तु फिर भी तमाम प्रयासों के बावजूद पुरुष और महिला साक्षरता दर के मध्य की खाई को समाप्त नही किया जा सका है।

तालिका–1.1
भारत में साक्षरता की दशकीय स्थिति
(स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद)

जनगणना	वर्ष कुल साक्षरता दर	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता	साक्षरता दर में अन्तर
1951	18.33	27.16	8.86	18.30
1961	28.30	40.44	15.35	25.05
1971	34.45	65.96	21.97	23.91
1981	43.57	56.38	29.46	26.62
1991	52.21	64.13	39.29	24.84
2001	64.84	75.26	53.67	21.59
2011	74	82.1	65.5	16.7

स्पष्ट है कि महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से काफी कम है। अतः महिला शिक्षा के उन्नयन के लिए विशेष तथा अतिरिक्त उपाय किये जाने चाहिए स्त्रियों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने अनेक प्रयास किये हैं तथा कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल खोले गये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएँ चलायी गयी तथा समाज में स्त्री शिक्षा के लिये जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार किया गया। बालिकाओं को स्कूल में निःशुल्क प्रवेश, निःशुल्क किताब, निःशुल्क प्रवेश एवं छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पिछली उत्तर प्रदेश सरकार (सुश्री मायावती जी ने) सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना प्रारम्भ किया इस योजना के अन्तर्गत 1800 रुपये मासिक आय से कम वाले अभिभावकों की बालिकाओं को 10वीं कक्षा पास करने पर 15000 हजार रुपये तथा एक साइकिल प्रदान की जाती है। यह योजना 11वीं कक्षा में अध्ययनरत गरीब बालिकाओं के लिए वे अभिभावक जो पैसे के अभाव में बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध नही करा पा रहे थे वे अभिभावक इस योजना से लाभान्वित होंगे और वे अपनी बालिका को आगे की शिक्षा प्रदान करा सकेंगे। यह एक ऐसा सराहनीय कार्य है जो बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

भारत के विभिन्न प्रान्तों में महिला साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से काफी कम है। विगत् दशकों से प्राप्त साक्षरता के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1951 में महिला साक्षरता दर 8.86% थी वर्ष 2011 में 65.5% पहुँच गयी पर पुरुषों की तुलना में अभी भी 16. 7% कम है।

Scanned with CamScanner

महिला साक्षरता की स्थिति को संतोषजनक नही कहा जा सकता है। अतः बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. अल्टेकर, ए0एस0, (1975), प्राचीन भारत में शिक्षा, वाराणसी, मनोहर प्रकाशन।
2. कबीर, हुमायूँ, (2007), स्वतंत्रता भारत में शिक्षा, नई दिल्ली, राजपाल एण्ड सन्स।
3. जाह्नवी, पारसनाथ राय, (2009), एजुकेशन इवल्युशन ऑफ द इण्डियन वुमन थु द डिफरेन्ट पिरीयड ऑफ इण्डियन हिस्ट्री, एम0एड0, इलाहाबाद, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय।
4. मुतालिक, स्वाति, (1991), स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक जागरूकता का अध्ययन, एमफिल0 एजुकेशन, पूना, यूनिवर्सिटी ऑफ।
5. पाठक, कल्पना (1992), बुद्धिष्ट ननसः ए स्टडी, डीवफिल0, इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ।
6. पाठक, पी0डी0 (1983), भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ आगराः विनोद पुस्तक मन्दिर पब्लिकेशन्स।
7. मुतालिक, स्वाति (1991), स्त्री शिक्षा तथा स्त्रियों की सामाजिक जागरूकता का अध्ययन, एम0फिल0 एजुकेशन, पूना, यूनिवर्सिटी ऑफ पूना।
8. लाल, रमन बिहारी (2009), ए सर्वे ऑफ एजुकेशनल, प्रोग्रेस ऑफ वुमेन बिलांगिंग टू द मैहर कम्यूनिटी इन नागपुर सिटी, एम0फिल0 एजुकेशन, नागपुर, नागपुर यूनिवर्सिटी।
9. सोनकर, मनोज (2006), प्राचीन एवं मध्यकाल की स्त्री शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, एम0एड0, झाँसी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय।
10. श्रीवास्तव, अल्का (2011) हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, इलाहाबाद रू नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय।।

Scanned with CamScanner